सं०–03/परी०–B.T.S.C.-22/2021 1357 दिनांक 14/09/21

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–11/2021 (रेडियोलॉजिस्ट), 09/2021 (नेत्र रोग), एवं 13/2021 (मूर्च्छक), अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाईट –www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (http://103.75.167.34/BTSCMO/) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर अथवा Email एवं जन्म तिथि डालकर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित **दिनांक–14.09.2021 से दिनांक–20.09.2021** तक आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते है।

उक्त ऑनलाईन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :–

1. MCI/ राज्य चिकित्सा परिषद् से स्नातकोत्तर (PG/ MS/ MD/ Diploma) का निबंधन नहीं रहने के कारण उसे अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नहीं माना गया है इसलिए इसे Disqualify किया गया है।
2. संबंधित संकाय से इतर विषय में स्नातकोत्तर (PG/ MS/ MD/ Diploma) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अन्तर्गत नहीं पाया गया है, इसलिए इन्हें Disqualify किया गया है।
3. ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
4. कार्यानुभव के अंक की गणना स्नातकोत्तर (PG/ MS/ MD/ Diploma) में उत्तीर्ण होने के पश्चात् की अवधि हेतु ही किया गया है। PG/ MS/ MD/ Diploma उत्तीर्ण होने के पूर्व की कार्यावधि हेतु कार्यानुभव का अंक देय नहीं है।
5. अनुभव की गणना दिनांक–04.05.2021 तक की गई है एवं अनुभव प्रमाण–पत्र दिनांक–05.06.2021 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य है।

D:\LETTER\SUCHANA JANSAMPARK.docx

6. ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग अथवा आवेदन के माध्यम से किसी अन्य कोटि का प्रमाण–पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

7. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग (BC)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि में दावा किया है, परन्तु काउंसलिंग अथवा आवेदन के माध्यम से क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

8. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर कोटि का प्रमाण–पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

9. FMGE का अंक पत्र काउंसलिंग के क्रम में अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में ई०मेल के माध्यम से उपलबध नहीं कराया गया है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।

10. विज्ञापन में वर्णित अधिकत्तम उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अभ्यर्थिता रद्द होने/कार्यानुभव का अंक नहीं देने/ कोटि परिवर्तन होने पर आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:–

1. **प्राप्त आपति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अकों की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाचोपरान्त मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**
2. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**
3. **विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हेतु शेष विज्ञापनों पर आपत्ति हेतु सूचना अतिशीघ्र प्रकाशित की जायेगी।**

Sd/- 14.9.2021

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।